2054

149

15000रु. भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

S.R.-I MZN

13 FEB 2008

03BB 802321

क्षेत्राधिकार कार्यालय उप निबन्धक मुजफ्फरनगर प्रथम

भूमि का प्रकार	:–	कृषि भूमि
वार्ड / परगना	:–	मुजफ्फरनगर
मौहल्ला / ग्राम	:–	शेरनगर
सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नम्बर):–		खसरा नम्बर 54
मापन की इकाई	:–	हैक्टेयर

15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

03BB 802320

13 FEB 2008

-2-

सम्पत्ति का क्षेत्रफल :–	0.9250 हैक्टेयर का 1/3 भाग यानि 0.3083 है0
सडक की स्थिति :–	नहीं है
सम्पत्ति का प्रकार :–	कृषि
पेडों का मूल्यांकन :–	9500/–रूपये का 1/3 भाग यानि 3167/–रूपये
बोरिंग/कुआ/अन्य :–	नहीं है

16 ₹347.00/-
13-02-08

497,000.00/ 497,000.00	5,000.00	20	5,020.00	800
प्रतिफल मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री / श्रीमती सुखबीर
पुत्र / पत्नी श्री ऐतवारी
पेशा कृषि
निवासी स्थायी शेरनगर मु0नगर
अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 22/2/2008 समय 4:25PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

सुखबीर

अशोक कटारिया
उपनिबन्धक(प्रथम)
मुजफ्फरनगर
22/2/2008

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू. प्रलेखानुसार उक्त

श्री/श्रीमती सुखबीर
पुत्र/पत्नी श्री ऐतवारी
पेशा कृषि
निवासी शेरनगर मु0नगर

श्री/श्रीमती अमन बंसल
पुत्र/पत्नी श्री अजय बंसल
पेशा व्यापार
निवासी 36 इमामबाड़ा प्रेमपुरी मु0नगर

ने निष्पादन स्वीकार किया।
जिनकी पहचान श्री पप्पू
पुत्र श्री लायक राम
पेशा मजदूरी
निवासी शेरनगर मु0नगर
व श्री सुबेदीन
पुत्र श्री नत्थू
पेशा कृषि
निवासी शेरनगर मु0नगर
ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये है।

अशोक कटारिया
उपनिबन्धक(प्रथम)
मुजफ्फरनगर
22/2/2008

सुखबीर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 831940

-3-

सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है:– नहीं है

प्रतिफल की धनराशि	:–	4,97,000/–रूपये
मालियत	:–	4,96,501/–रूपये
निर्धारित दर	:–	16,00,000/–रूपये प्रति है0
स्टाम्प शुल्क	:–	49,700/–रूपये
किस्म जमीन	:–	अव्वल आबी

नरेन्द्र कुमार शर्मा

12 स्टाम्प विक्रय की तिथि 22-2-08
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन बैनामा
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता [illegible]
स्टाम्प की धनराशि 5000

5000×3=15000 रु

नरेन्द्र कुमार शर्मा (स्टाम्प विक्रेता)
तहसील सदर, मुजफ्फरनगर
लाईसेन्स सं० 8
लाईसेन्स की अवधि 31-3-2011

विक्रेता

Registration No.: 2054 Year : 2008 Book No. : 1

0101 सुखबीर

ऐलवारी

शेरनगर मुजफ्फरनगर

कृषि

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 831941

विक्रीत सम्पत्ति आवास विकास शुल्क के अन्तर्गत है।

विक्रेता अनुसूचित जाति या जनजाति से नहीं है।

प्रथम पक्ष की संख्या (1)

<u>विक्रेता का विवरण</u>

1–**सुखबीर** पुत्र श्री ऐतवारी निवासी ग्राम शेरनगर परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर व्यवसाय:– खेती

नरेन्द्र कुमार शर्मा
(स्टाम्प विक्रेता)

13 स्टाम्प विक्रय की तारीख 22-2-08
स्टाम्प की धनराशि 5000
शामिल नम्बर 13 किया गया।

नरेन्द्र कुमार शर्मा (स्टाम्प विक्रेता)
तहसील सदर, मुजफ्फरनगर
लाईसेन्स सं० 8
लाईसेन्स की अवधि 31-3-2011

क्रेता

Registration No. : 2054 Year : 2008 Book No. : 1

0201 अमन बंसल
अजय बंसल
38 इमामबाडा प्रेमपुरी मु0नगर
व्यापार

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH C 831942

19 FEB

द्वितीय पक्ष की संख्या (1)

क्रेता का विवरण

1– श्री सीताराम बिल्डर्स 39, सुथराशाही मुजफ्फरनगर द्वारा पार्टनर श्री अमन बंसल पुत्र श्री अजय बंसल निवासी 36, इमामबाडा प्रेमपुरी मुजफ्फरनगर व्यवसायः– व्यापार PAN- ABIFS 7034 H

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 918207

हम कि **सुखबीर** पुत्र श्री ऐतवारी निवासी ग्राम शेरनगर परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर प्रथम पक्ष (विक्रेतागण) व **श्री सीताराम बिल्डर्स 39, सुथराशाही मुजफ्फरनगर द्वारा पार्टनर** श्री अमन बंसल पुत्र श्री अजय बंसल निवासी 36, इमामबाडा प्रेमपुरी मुजफ्फरनगर द्वितीय पक्ष (क्रेता) हैं। जो कि प्रथम पक्ष भूमि निम्नलिखित का मालिक व काबिज संक्रमणीय भूमिधर है। यह सम्पत्ति हर प्रकार के ऋण भार, देनदारी से कतई पाक व साफ है और उसको विक्रय करने के पूर्ण अधिकार प्रथम पक्ष को प्राप्त हैं। द्वितीय पक्ष ने भी अपनी तसल्ली सम्पत्ति निम्नलिखित की बाबत कागजात माल में व मौके पर देखकर कर ली है कि यह सही है। अतः

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 918208

प्रथम पक्ष ने सम्पत्ति निम्नलिखित को मन, बुद्वि तथा समस्त इन्द्रियों की स्वस्थ दशा में स्वेच्छा से सम्पूर्ण परिवार के परामर्श से सम्पूर्ण परिवार के हितों को ध्यान में रखते हुये बिना बाकी रखे हक व हकूक किसी भी किस्म के अंकन **चार लाख सत्तानवे हजार रूपये (4,97,000/–रूपये)** आधे जिसके अंकन दो लाख अड़तालीस हजार पांच सौ रूपये (2,48,500/–रूपये) होते है बदस्त **श्री सीताराम बिल्डर्स 39, सुथराशाही मुजफ्फरनगर द्वारा पार्टनर** श्री अमन बंसल पुत्र श्री अजय बंसल निवासी 36, इमामबाडा प्रेमपुरी मुजफ्फरनगर द्वितीय पक्ष (क्रेता) को पूर्ण रूप से विक्रय कर दी है।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 918209

13 FEB 2008

-8-

कुल विक्रय मूल्य द्वारा एक किता चैक नम्बरी 342259 विजया बैक मुजफ्फरनगर दिनांक 12—02—2008ई0 प्राप्त कर लिया है इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य प्राप्त कर लिया है। अब कोई पैसा बाकी नही रहा है। कब्जा विक्रीत भूमि से प्रथम पक्ष ने अपना मौके पर से उठाकर बमिस्ल उत्तर की तरफ द्वितीय पक्ष का करा दिया है। अब विक्रीत भूमि से प्रथम पक्ष या उसके वारसान का कोई ताल्लुक व वास्ता नही रहा है और न ही आईन्दा होगा। अब यदि प्रथम पक्ष की किसी क्रिया से या उसके किसी सहीम या शरीक की दावेदारी से या किसी कानूनी त्रुटि के कारण या किसी अन्य कारण से

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 918210

-9-

विक्रीत भूमि या उसका कोई भाग कब्जे द्वितीय पक्ष या उनके वारसान से निकल जावे तो उन्हे अधिकार होगा कि कब्जा स्वंय या द्वारा अदालत प्राप्त कर लें या कुल विक्रय मूल्य मय हर्जा खर्चा रिवाजी ब्याज प्रथम पक्ष या उनके वारसान की जात व जायदाद से जिस प्रकार चाहे वसूल कर लें। इसमें प्रथम पक्ष या उनके वारसान को कोई आपत्ति किसी प्रकार की नही होगी। विक्रीत भूमि किसी मुख्य मार्ग, जनपदीय मार्ग, लिंक मार्ग, बाईपास या खडन्जे पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि खेती की भूमि है और खेती कार्य के लिये द्वितीय पक्ष ने क्रय की है। विक्रीत भूमि की मालियत लगान के अनुसार अंकन 12,200/—रूपये होती है। विक्रीत भूमि का मुहायदा वर्तमान

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH F 275202

बाजारी कीमत पर अंकन **4,97,000/– रूपये** में हैं। वर्तमान बाजारी कीमत इससे अधिक नही है। विक्रीत भाग भूमि की मालियत निर्धारित किस्म भूमि के अनुसार अंकन 4,93,334/– रूपये होती है तथा विक्रीत भूमि मे 4 पेड आम व 2 पेड शीशम व 1 पेड आमरूद के है जिनकी आयु 10 वर्ष से कम है तथा जिनकी अधिक से अधिक कीमत अंकन 9500/–रूपये होती हैं, लेकिन भाग भमि के अनुसार कीमत 3167/–रूपये होती है इस प्रकार कुल मालियत अंकन 4,96,501/– रूपये होती है। किन्तु द्वितीय पक्ष ने स्टाम्प शुल्क अपने महायदे के अनुसार अंकन 4,97,000/– रूपये पर अदा किया

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

13 FEB 2009

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH S 529606

-11-

है। विक्रीत भूमि के सम्बन्ध में आज से पूर्व कोई निबन्धित इकरारनामा द्वितीय पक्ष से नही हुआ है। विक्रीत भूमि के 400 मीटर की त्रिज्या में कृषि क्षेत्र है। अतः यह **विक्रय पत्र** लिख दिया है कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। इति।

विवरण विक्रीत सम्पत्ति स्थित ग्राम **शेरनगर** परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगरः– जो कि कृषि भूमि **खसरा नम्बर 54 रकबई 0.9250**

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

13 FEB 2008

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 529607

-12-

है0, लगान 45.75 रूपये सालाना किस्म भूमि जंगल अव्वल आबी, का कुल हक व हिस्सा 1/3 भाग। मय जुमला हक व हकूक हर किस्म।

साक्षी

साक्षी

तहरीर ता0:–22–02–2008 ई0

ड्राफ्ट कर्ता:–नरेश कुमार दस्तावेज लेखक, तहसील सदर, मुजफ्फरनगर

अनुज्ञप्ति संख्या 107, विधिमान्य दिनांक 31–03–2009 ई0।

उ0 900/–

176

आज दिनांक 22/02/2008 को

वही सं. 1 जिल्द सं. 4024

पृष्ठ सं. 149 से 176 पर क्रमांक 2054

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

अशोक कटारिया

22/2/2008